रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102024-258081
CG-DL-E-19102024-258081

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4200] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 18, 2024/आश्विन 26, 1946
No. 4200] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2024/ASVINA 26, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4566(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तुंगरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3250 (अ), तारीख 11 सितम्बर, 2019 द्वारा एक अधिसूचना जारी की थी;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3250 (अ), तारीख 11 सितम्बर, 2019 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3250 (अ), तारीख 11 सितम्बर, 2019 को प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. मानीटरी समिति.** – केंद्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर एक मानीटरी समिति का गठन करेगी, अर्थात्: -

i.	जिला कलेक्टर, पालघर जिला	अध्यक्ष, पदेन;
ii.	मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान	सदस्य, पदेन;
iii.	प्रत्येक तीन वर्ष में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नामित जैव विविधता का एक विशेषज्ञ।	सदस्य, पदेन;
iv.	डिप्टी कलेक्टर, ठाणे जिला.	सदस्य, पदेन;
v.	प्रत्येक तीन वर्ष में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नामित किया जाने वाला वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि।	सदस्य;
vi.	प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय या संस्थान से पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ।	सदस्य;
vii.	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुंबई या ठाणे	सदस्य, पदेन;
viii.	नगर नियोजन अधिकारी, पालघर या ठाणे	सदस्य, पदेन;
ix.	सहायक वन संरक्षक (एल.आर.पी.) ठाणे	सदस्य, पदेन;
x.	ठाणे प्रभाग के वन सर्वेक्षक	सदस्य, पदेन;
xi.	वन संरक्षक (वन्यजीव), नासिक	सदस्य, पदेन;
xii.	प्रभागीय वन अधिकारी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली।	सदस्य सचिव, पदेन।

6. **मानीटरी समिति के कार्य:-** (1) मानीटरी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों, उसके पैरा 4 के अंतर्गत दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।

IndiaCode

(2) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की संवीक्षा मानीटरी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।

(3) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) मानीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकेगी है।

(5) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपनी क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-V** में निर्दिष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी।

(6) केंद्रीय सरकार अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसा वह ठीक समझे।"

[फा. सं. 25/25/2017-ईएसजेड]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

IndiaCode

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 3250 (अ), तारीख 11 सितम्बर, 2019 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2024

S.O. 4566(E).—WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Tungereshwar Wildlife Sanctuary, Maharashtra in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3250 (E), dated the 11th September, 2019;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 3250 (E), dated the 11th September, 2019;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3250 (E), dated the 11th September, 2019, namely:-

In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraph shall be respectively substituted, namely: -

"5. **Monitoring Committee**. - The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely:-

(i)	District Collector, Palghar District	Chairman, Ex-officio;
(ii)	Chief Conservator of Forest and Director Sanjay Gandhi National Park	Member, ex officio;
(iii)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government from time to time every three years.	Member, ex officio;
(iv)	Deputy Collector, Thane District.	Member, ex officio;
(v)	One representative of non-governmental organization working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State government from time to time every three years.	Member
(vi)	One expert in the area of ecology and environment from reputed university or Institution to be nominated by the Government of Maharashtra from time to time every three years.	Member
(vii)	Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board, Mumbai or Thane	Member, ex officio;
(viii)	Town Planning Officer, Palghar or Thane	Member, ex officio;
(ix)	Assistant Conservator of Forest (L.R.P.) Thane	Member, ex officio;
(x)	Forest Surveyor of Thane Division	Member, ex officio;
(xi)	Conservator of Forests (Wildlife), Nashik	Member, ex officio;
(xii)	Divisional Forest Officer, Sanjay Gandhi National Park Borivali.	Member Secretary, ex officio.

6. **Functions of the Monitoring Committee.** – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department concerned, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State in pro-forma specified in **Annexure-V.**

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions".

[F. No. 25/25/2017-ESZ]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 3250 (E), dated the 11th September, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.10.19 17:22:26 +05'30'